NREGA
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रमांक /3308/ MIS/NR-10/NREGA -MP/10 भोपाल, दिनांक 03.04.10

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
   जिला पंचायत .... (समस्त)
   मध्यप्रदेश

विषय :- टोल फ्री नम्बर 155343 के माध्यम से नागरिक टेली समाधान केन्द्र (हेल्प लाइन) सुविधा का पालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

संदर्भः- क्रमांक / 1378 / **MIS/NR-10/NREGA -MP/10,** भोपाल, दिनांक 17.02.10

---00---

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मध्यप्रदेश से संबंधित जनशिकायत एवं योजना से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ आम जनता तक उपलब्ध कराने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, म.प्र. को म.प्र. शासन के नागरिक टेली समाधान केन्द्र सुविधा (हेल्प लाइन) के टोल फ्री नम्बर से जोड़ दिया गया है।

टोल फ्री नम्बर 155343 पर दर्ज शिकायतें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत/जिला स्तर के संबंधित अधिकारियों/पदाधिकारियों को दूरभाष तथा ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी तथा उनका निराकरण विहित रीति से नियत समय-सीमा तक किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः **टोल फ्री नम्बर 155343** तथा नागरिक टेली समाधान केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराने वाली जानकारी के विवरण के संबंध में समुचित प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चत करें तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत भवन की दीवारों पर गेरू से टोल फ्री नम्बर तथा उसके माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

अतः उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन शीघ्र परिषद् को भेजना सुनिश्चित करें।

3.4.10
(ए. के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)